पत्रांक–4प / विविध–40–20 / 2023 / 16184 / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, बिहार
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक : 27 / 12 / 2023

विषय : वंशावली निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 14921 दिनांक 10.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 05.12.2023 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वंशावली निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित करने एवं तत्संबंधी प्रक्रियाओं का निर्धारण पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा। इस आलोक में वंशावली निर्गत करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(क) वंशावली बनाने की प्रक्रिया –

(i) जिस व्यक्ति को वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वह शपथ–पत्र पर अपनी वंशावली का विवरण एवं स्थानीय निवासी होने के साक्ष्य के साथ एक लिखित आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को देगा। आवेदन के साथ नगद रूप में मात्र 10 रूपये का शुल्क पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव के पास जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। पंचायत सचिव जमा किये गये शुल्क के एवज में आवेदक को प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायेगा। यह शुल्क राशि पंचायत निधि का हिस्सा बनेगी। पंचायत सचिव ऐसे प्रत्येक आवेदन का विवरण इस हेतु विशिष्ट रूप से संधारित पंजी में दर्ज करेगा। दोबारा वंशावली निर्गत करने हेतु आवेदक को पंचायत सचिव के पास 100 रूपये का शुल्क जमा करना होगा।

(ii) पंचायत सचिव आवेदन प्राप्ति के अधिकतम सात दिनों के अंदर जांचोपरांत उपलब्ध कराये गये कागजात / कागजातों से संतुष्ट होकर आवेदन पत्र पर ही उपांत में सील / मुहर और तिथि के साथ अपनी अनुशंसा / मंतव्य अंकित कर संबंधित ग्राम कचहरी सचिव को औपचारिक रूप से अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु उपलब्ध करा देगा। अग्रसारित आवेदन की छायाप्रति पंचायत सचिव अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा।

(iii) ग्राम कचहरी सचिव, पंचायत संचिव से प्राप्त ऐसे आवेदन को अपने स्तर पर संधारित पंजी में पूर्ण विवरण के साथ दर्ज करेगा तथा उसे अविलंब ग्राम कचहरी के सरपंच के पास स्वीकृति हेतु उपस्थापित करेगा।

(iv) सरपंच उस आवेदन पत्र की छायाप्रति कराकर ग्राम कचहरी के किसी सुगोचर स्थान पर चिपकाते हुए आम लोगों से सात दिनों के अंदर आपत्ति (अगर कोई हो) आमंत्रित करेगा। विहित अवधि के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सरपंच संलग्न प्रपत्र में अपने सील/मुहर और हस्ताक्षर के साथ वंशावली निर्गत करेगा। अगर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो सरपंच उस आवेदन पत्र पर सार्वजनिक सुनवाई कर समुचित निर्णय लेगा।

(v) वंशावली दो प्रतियों में तैयार की जायेगी। वंशावली की दोनों प्रतियां सभी कागजातों सहित ग्राम पंचायत सचिव को वापस कर दी जायेंगी। ग्राम कचहरी सचिव उक्त वंशावली की छायाप्रति अपने कार्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रख सकेगा। सरपंच से वंशावली प्राप्त हो जाने पर पंचायत सचिव एक प्रति पर अपना प्रतिहस्ताक्षर (countersignature) कर दूसरी प्रति में आवेदक का हस्ताक्षर प्राप्त कर उसे हस्तगत करा देगा तथा दूसरी प्रति के आधार पर पारिवारिक पंजी में उसका पूर्ण विवरण अंकित करेगा। दूसरी प्रति तथा मूल आवेदन एवं उसके साथ संलग्न सभी कागजातों को ग्राम पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत सचिव की होगी।

(vi) पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम कचहरी सचिव को अपनी अनुशंसा समर्पित किये जाने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अंदर सरपंच को वंशावली पर अंतिम निर्णय लेने की बाध्यता होगी।

(vii) कालक्रम में ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को आर.टी.पी.एस. के अंतर्गत ऑनलाईन करने की व्यवस्था भी की जायेगी जिसके संबंध में अलग से निदेश निर्गत किया जायेगा।

(viii) पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी समय–समय पर जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वंशावली बनाने की उपर्युक्त प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया जा रहा है।

(ख) आवेदन की जांच – जिस व्यक्ति को अपनी वंशावली की आवश्यकता है, उसे संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्राधीन किसी ग्राम का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। स्थानीय निवासी होने के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित कागजातों/दस्तावेजों में से किसी एक को आधार माना जा सकता है –

(i) ग्राम पंचायत कार्यालय में पंचायत सचिव द्वारा संधारित पारिवारिक पंजी में उस व्यक्ति से संबंधित परिवार का विवरण।

(ii) आवेदक के पूर्वज का जमीन का खतियान/बांसगीत पर्चा इत्यादि, जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि वह संबंधित ग्राम का निवासी है।

(iii) यदि अभ्यर्थी के पास जमीन न हो तो ग्राम का वोटर लिस्ट जिसमें उसका एवं उसके परिवार का नाम हो।

(iv) आधार कार्ड जिसमें आवेदक का पता दर्ज हो

(v) सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्व में निर्गत निवास प्रमाण पत्र।

(vi) जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र जिससे आवेदक के माता–पिता का नाम पता चलता हो।

(vi) विवाह प्रमाण पत्र

(vii) मैट्रिकुलेशन अथवा अन्य कक्षा का नामांकन प्रमाण पत्र

2. किसी भी स्तर पर विहित टाईमलाईन में चूक होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित कर्मी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। कृपया अपने स्तर से ग्राम पंचायत तथा ग्राम कचहरी के मुखिया/सरपंच तथा पंचायत सचिव/ग्राम कचहरी सचिव को पंचायती राज विभाग के उपर्युक्त निर्णय से अवगत करा दिया जाय।

अनुलग्नक : वंशावली प्रपत्र।

विश्वासभाजन

27.12.23

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 4प/विविध–40–20/2023/16184/ पं0रा0 पटना, दिनांक 27/12/2023

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को निदेशक, भू–अर्जन, बिहार के ज्ञापांक 14/डी.एल.ए. नीति (वंशावली) 09/2023–1570 दिनांक 06.12.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.12.23

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 4प/विविध–40–20/2023/16184/ पं0रा0 पटना, दिनांक 27/12/2023

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वंशावली

ग्राम कचहरी.....का कार्यालय

ग्राम पंचायत ....., प्रखंड ....., जिला .....

वंशावली संख्या :–..... दिनांक .....

संबंधित पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत ..... द्वारा दिये गये प्रतिवेदन/अनुशंसा एवं आवेदक द्वारा समर्पित शपथ–पत्र संख्या ..... दिनांक .....के सत्यापन के आधार पर आवेदक/आवेदिका .....

पिता/पति/माता.....ग्राम/मोहल्ला.....

वार्ड संख्या .....पोस्ट ..... थाना ..... जिला .....

का वंशावली निर्गत किया जाता है।

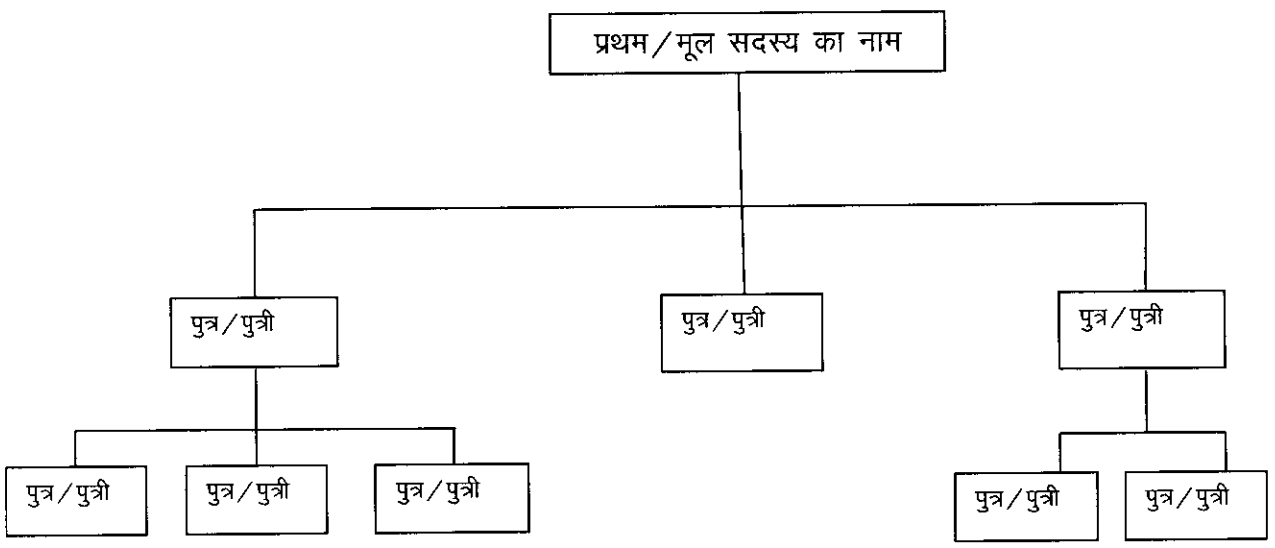

प्रतिहस्ताक्षरित

(.....)

पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत .....

सरपंच का हस्ताक्षर/मुहर

(.....)

ग्राम कचहरी .....